पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार

बोरिंग-सह-सोलर समरसेबुल पम्पसेट अधिष्ठापन की योजना

वित्तीय वर्ष 2025-2026 में "जलकृषि सौरीकरण के तहत बोरिंग-सह-सोलर समरसेबुल पम्पसेट अधिष्ठापन की योजना" के तहत आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

- **योजना का उद्देश्य:-** इस योजना का मुख्य उद्देश्य मत्स्य पालन के स्त्रोत (तालाब/पोखर, बायोफ्लॉक/आर0ए0एस0 आदि) में मत्स्य पालन हेतु सालोभर जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

- **योजना की विशेषता:-** "बोरिंग-सह-सोलर समरसेबुल पम्पसेट अधिष्ठापन की योजना" के तहत राज्य के सभी जिलों में **355** बोरिंग-सह-सोलर समरसेबुल पम्पसेट का अधिष्ठापन किया जाएगा।

- **अनुदान देय:-** योजनान्तर्गत अंतिम रूप से निर्धारित इकाई लागत का **80 प्रतिशत सब्सिडी** की अनुमान्यता सभी वर्गो के लिए होगी। शेष राशि लाभार्थी द्वारा स्वयं अथवा बैंक ऋण से वहन किया जाएगा।

- **योजना का लाभ:-**योजना का लाभ हेतु एक व्यक्ति/परिवार को न्यूनतम **0.25 एकड़** जलक्षेत्र से **2.5 एकड़** जलक्षेत्र तक के तालाब पर अधिकतम एक बोरिंग तथा एक सोलर समरसेबुल पम्पसेट इकाई का अधिष्ठापन का लाभ की अनुमान्यता होगी।
- योजनान्तर्गत बोरिंग-सह-सोलर-समरसेबुल पम्पसेट, पाईप आदि सामग्रीयों का क्रय लाभूकों के द्वारा योजना के तहत सूचीबद्ध आपूर्तिकर्त्ता से स्वयं किया जाएगा।
- योजना के तहत लाभूकों का चयन, उपमत्स्य निदेशक (परिक्षेत्र) की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के द्वारा किया जाएगा।

- **लाभूकों की पात्रता:-** बोरिंग-सह-सोलर-समरसेबुल पम्पसेट इकाई का अधिष्ठापन हेतु न्यूनतम 0.25 एकड़ जलक्षेत्र का तालाब होना अनिवार्य होगा।
- बोरिंग-सह-सोलर-समरसेबुल पम्पसेट योजना हेतु अपने प्रस्तावित तालाब का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाएगा।
- आवेदक के द्वारा अपना मोबाईल नं0 तथा बैंक शाखा का नाम, बैंक खाता संख्या, आई0एफ0एस0सी0 कोड अंकित किया जाएगा। साथ ही, अपना आधार कार्ड नं0/राशन कार्ड नं0/ मतदाता पहचान पत्र/मत्स्य पालन तकनीक से सम्बन्धित प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र (यदि प्रशिक्षित हो) की अभिप्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
- योजना के तहत आवेदकों के द्वारा निजी/लीज **(न्यूनतम नौ वर्ष)** पर ली गई तालाब का एकरारनामा **(1000 रूपये ननजूडीसीयल स्टांप)** पर किया जाएगा।
- योजनान्तर्गत यदि पूर्व में आवेदकों/लाभूकों के तालाब पर बोरिंग पम्पसेट उपलब्ध हो अथवा पूर्व में किसी सरकारी समान योजना (केन्द्र/राज्य) के तहत ट्यूबवेल-सह-पम्पसेट/बोरिंग-सह-सोलर समरसेबुल पम्पसेट/सोलर समरसेबुल पम्पसेट का लाभ प्राप्त किए हों तो उन्हें इस योजना का लाभ देय नहीं होगा।

योजना हेतु आवेदन **https://fisheries.bihar.gov.in** पर ऑनलाईन प्राप्त किए जायेंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि **31.08.2025** तक।

इस योजना की विस्तृत जानकारी **सं0- 2925**, दिनांक- 30.06.2025 से प्राप्त की जा सकती है जो विभागीय वेबसाईट **https://state.bihar.gov.in/ahd/CitizenHome.html** पर प्रदर्शित है।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग (मत्स्य प्रभाग) बिहार सरकार द्वारा जनहित में प्रचारित

PR No.- 010982 (Animal)D. 2025-26